प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, (उ0शि0)
डिग्री विकास अनुभाग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सेवा में,

1. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
3. राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी इलाहाबाद।

पत्रांकः डिग्री विकास/ 13617-981 /2018-19 दिनांक 06-07 2018

विषय- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (प्रतिषेध और प्रतितोष) आंतरिक परिवाद समिति के पुनर्गठन तथा लैंगिक उत्पीड़न संबंधी जून माह की आख्या प्रेषण के संबंध में।

महोदय,

कृपया निदेशालय के पत्रांक संख्या डिग्री विकास/399-547/2018-19 दिनांक 25.04.2018 का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीड़न के संदर्भ में सूचनाएँ निदेशालय को प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी थी। तत्क्रम में सूच्य हैं कि स्थानान्तरण सत्र के कारण कुछ महाविद्यालयों एवं कार्यालयों के कार्मिकों का स्थानान्तरण हो गया है।

अतः पूर्व मे गठित आन्तरिक परिवाद समिति में यदि कोई परिवर्तन है तो समिति का पुनर्गठन करते हुए परिवाद से सम्बन्धित सूचना अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीया,
डॉ0 (प्रीति गौतम)
शिक्षा निदेशक (उ0शि0)
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

पृष्कांन संख्याः डिग्री विकास/ /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करे-

1. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-05 उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. संयुक्त सचिव, महिला कल्याण, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0।
4. डॉ0 नीतू सिंह एसोसिएट प्रोफेसर एवं समन्वयक, (उच्च शिक्षा निदेशालय, आन्तरिक परिवाद समिति 2018), को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये।

डॉ0 (प्रीति गौतम)
शिक्षा निदेशक (उ0शि0)
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा),
डिग्री विकास अनुभाग
उ0प्र0, इलाहाबाद।

सेवा में,

1. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, उ0प्र0।
2. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–डिग्री विकास/ 399-547 /2018–19 दिनांक : 25/ 4 / 2018

विषय– महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के राज्य में क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–01मु0मं0/60–3–14–13(7)/14 दिनांक : 09/06/2014 एवं शासन के पत्र संख्या–849/60–3–17–13(7)/14 टी0सी0 दिनांक : 27/04/2017 के क्रम में अपने अधीनस्थ शासकीय महाविद्यालयों/कार्यालयों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित ''महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013'' के प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अधिनियम में उल्लिखित ''आन्तरिक परिवाद समिति'' का गठन कर अधिनियम की धारा–7 की उपधारा(4) के अन्तर्गत समिति मे नाम निर्दिष्ट किये गये सदस्यों की सूची, फीस व भत्तों के संदाय हेतु अभिकरण के रूप में स्थापित महिला कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु संकलित सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप अपने महाविद्यालयों/कार्यालयों में अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालयी/कार्यालयी आन्तरिक परिवाद समिति का गठन करते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित वांछित सूचना/मासिक प्रगति विवरण शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर (mail id- wifi@dheup.com) पर माह की 30 तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे संकलित विवरण शासन को समयान्तर्गत प्रेषित किया जा सकें।

संलग्नक :

1– महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013
2– महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के क्रियान्वयन से सम्बन्धित शासनादेश।
3– उच्च शिक्षा निदेशालय, आन्तरिक परिवाद समिति
4– संकलित सूचना हेतु प्रारूप

भवदीया,

डा0 (प्रीति गौतम)
निदेशक (उच्च शिक्षा), उ0प्र0,
इलाहाबाद।

पृ0सं00–डिग्री विकास/ 399-547 / उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त के क्रम में वे अपने कार्यालय तथा अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त शासकीय महाविद्यालय की संकलित मासिक प्रगति विवरण उपलबध कराए गए प्रारूप पर माह की 30 तारीख तक उच्च शिक्षा निदेशालय, आन्तरिक परिवाद समिति को मेल के द्वारा उपलबध कराना सुनिश्चित करें।
2. डा0 नीतू सिंह (एसो0प्रो0) एच0एन0बी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नैनी, इलाहाबाद उच्च शिक्षा निदेशालय, आन्तरिक परिवाद समिति की समन्वयक को इस आशय से प्रेषित कि प्राप्त सूचनाओं को संकलित कर समयान्तर्गत प्रेषित करें।

O/C

डा0 (प्रीति गौतम)
निदेशक (उच्च शिक्षा), उ0प्र0,
इलाहाबाद।